

द्वारा जमानत राशि लौटाया जाएगा।

8. रोजगार प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक का बहाली होता है जिसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र चाहिए जो किसी प्रशिक्षण केन्द्र से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जिनका मासिक वेतन 15 हजार रूपया है। किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं होगा।
9. क्षेत्रिय स्टाफ, सामूहि (साझी) कार्य क्षेत्र में नहीं करेंगे, अपना-अपना क्षेत्र में करेंगे। एक विधान सभा क्षेत्र में दो प्रखण्ड क्षेत्रिय पदाधिकारी बहाली होंगे जो बिहार के किसी भी जिला के क्षेत्रों में भेजा जा सकता है।
10. टारगेट पूरा नहीं करने पर एवं किसी भी गाँव, शहर के जनता से सर्वेक्षण समय किसी प्रकार का रकम लेता है तो वेतन रोक दी जाएगी एवं पद से हटाया भी जा सकता है।

नोट:- कार्यालय स्टाप के लिए महिला का प्राथमिकता है, जिसका वेतन तीन हजार से 15 हजार तक है। कार्य के लिए राज्य के किसी भी जिले के क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। कम से कम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होनी चाहिए। क्षेत्रिय स्टाप के लिए पुरुष की प्राथमिकता है। जिसको मोटर साईकिल होना और चलाने की जानकारी होना चाहिए। कार्य संचालन के लिए प्रत्येक जिला में क्षेत्रिय कार्यालय के लिए बिहार विधानसभा क्षेत्र के अनुसार खोला जाता है।

विश्वासभाजन

हिलसा (नालन्दा)
20/12/2020

लोक कल्याण समिति बिहार

20/12/2020 हिलसा (नालन्दा)

